दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 30-10-2024

विषय सूची

भारत-स्पेन द्विपक्षीय संबंध

ब्राजील ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल न होने का निर्णय लिया

भारत महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अतिआवश्यक है

भारत के रक्षा क्षेत्र पर आत्मनिर्भर भारत पहल का प्रभाव

बैंकिंग लेनदेन में साइबर धोखाधड़ी

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रपति भवन में कोणार्क चक्र की प्रतिकृतियां

कुंभ मेला

जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए मोबाइल ऐप

70 से अधिक नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत

फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA)

ब्रिक-NABI (BRIC-NABI)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

PMLA के तहत जमानत प्रावधान

बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (MIDH)

पराली जलाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना

भारत-स्पेन द्विपक्षीय संबंध

संदर्भ

- स्पेन के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आए।

परिचय

- प्रधानमंत्री सांचेज़ और प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में एयरबस स्पेन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा सह-निर्मित C-295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।
  - यह प्लांट 2026 में भारत में निर्मित होने वाले कुल 40 विमानों में से पहला 'मेड इन इंडिया' C295 विमान तैयार करेगा।
  - एयरबस स्पेन भारत को 'फ्लाई-अवे' स्थिति में 16 विमान भी दे रहा है, जिनमें से 6 पहले ही भारतीय वायुसेना को सौंपे जा चुके हैं।
- द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत और स्पेन ने कई समझौता ज्ञापनों (MOUs) पर हस्ताक्षर किए।

भारत-स्पेन द्विपक्षीय संबंधों का अवलोकन

- भारत और स्पेन के बीच राजनयिक संबंध 1956 में स्थापित हुए थे।
  - तब से, दोनों देश अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय यात्राओं और चर्चाओं में लगे हुए हैं।
- **आर्थिक संबंध:** स्पेन यूरोप में भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 9.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। इसी अवधि के दौरान भारत का निर्यात 7.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि आयात 2.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
  - भारत-स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग (JCEC) की स्थापना 1972 के व्यापार तथा आर्थिक सहयोग समझौते के तहत की गई थी और तब से इसकी बारह बार बैठक हो चुकी है।
  - **निवेश:** स्पेन भारत में 16वें सबसे बड़े विदेशी निवेशक के रूप में रैंक करता है, जिसमें दिसंबर 2023 तक कुल संचयी FDI 3.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- **रक्षा:** स्पेन भारत के लिए रक्षा विविधीकरण और आधुनिकीकरण में एक प्रमुख सदस्य के रूप में उभरा है।
  - एयरबस स्पेन से 56 C295 विमानों की खरीद रक्षा विमान क्षेत्र में पहली मेक इन इंडिया परियोजना का प्रतिनिधित्व करती है।
- दोनों दिशाओं में पर्यटन बढ़ रहा है, प्रत्येक वर्ष 250,000 भारतीय पर्यटक स्पेन की यात्रा करते हैं, और 40,000 स्पेनिश पर्यटक भारत आते हैं।
- स्पेन-भारत परिषद फाउंडेशन (एक निजी गैर-लाभकारी संगठन जो स्पेन के विदेश मंत्रालय के समन्वय में कार्य करता है) ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के सहयोग से 2023 में तीसरा स्पेन-भारत फोरम आयोजित किया।
  - यह फोरम स्पेन और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है।

- **बहुपक्षीय सहयोग:** दोनों देश जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और सतत विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र, G-20 और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करते हैं।
- **प्रवासी:** स्पेन में भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 75000 है, जो कैटेलोनिया, वालेंसिया, मैड्रिड और कैनरी द्वीप समूह में केंद्रित है।

आगे की राह

- भारत और स्पेन के विकसित होते आर्थिक एवं कूटनीतिक संबंध महत्वपूर्ण संभावनाओं से भरे हैं, जिनमें व्यापार, निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे तथा रक्षा सहित सहयोग के प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण प्रौद्योगिकी में स्पेन की विशेषज्ञता भारत के बढ़ते बाजार का पूरक है।
- "मेक इन इंडिया" और "डिजिटल इंडिया" जैसी पहल आगे के सहयोग के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाती हैं, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलता है।
- चूंकि दोनों देश अपनी पारस्परिक शक्तियों का लाभ उठाना जारी रखते हैं, इसलिए भारत-स्पेन द्विपक्षीय संबंधों का भविष्य बेहतर सहयोग के साथ उज्ज्वल दिखाई देता है।

Source: PIB

ब्राज़ील ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल न होने का निर्णय लिया

संदर्भ

- ब्राजील ने हाल ही में चीन की अरबों डॉलर की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में शामिल न होने का निर्णय लिया है।

परिचय

- भारत द्वारा इस मेगा परियोजना का समर्थन करने से मना करने के बाद यह चीन के BRI के लिए एक बड़ा आघात है।
- ब्राजील ब्रिक्स ब्लॉक में भारत के बाद समर्थन से मना करने वाला दूसरा देश बन गया है।
- ब्राजील चीन के साथ संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाना चाहता है, बिना किसी परिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
    - BRI में शामिल होने से ब्राजील को अल्पावधि में कोई ठोस लाभ नहीं मिल सकता है, लेकिन इससे अमेरिका के साथ संबंध अधिक मुश्किल हो सकते हैं।

ब्रिक्स

- ब्रिक्स एक संक्षिप्त नाम है जो पाँच प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के समूह को संदर्भित करता है: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
    - बाद में, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को सदस्य राज्यों के रूप में जोड़ा गया।
- यह शब्द मूल रूप से अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा 2001 में दिया गया था।

- **शिखर सम्मेलन:** ब्रिक्स राज्यों की सरकारें 2009 से प्रत्येक वर्ष औपचारिक शिखर सम्मेलनों में मिलती रही हैं।
- ब्रिक्स देश तीन स्तंभों के तहत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आते हैं:
  - राजनीतिक और सुरक्षा,
  - आर्थिक एवं वित्तीय ;और
  - सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान।
- **नया विकास बैंक:** जिसे पहले ब्रिक्स विकास बैंक के रूप में जाना जाता था, ब्रिक्स राज्यों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।

बेल्ट एंड रोड पहल (BRI)

- चीन ने प्राचीन सिल्क रूट की पुनर्स्थापना करने के उद्देश्य से 2013 में BRI का प्रस्ताव रखा था।
  - इस पहल का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों में व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेलवे, राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों तथा अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के नेटवर्क के माध्यम से एशिया को यूरोप एवं अफ्रीका से जोड़ना है।
- चीन ने BRI को एक खुली व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें सभी देशों का भाग लेने का स्वागत है।
  - अब तक, चीन ने 150 से अधिक देशों और 30 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ BRI सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- BRI में दो मुख्य घटक शामिल हैं: सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड।
  - सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट चीन और मध्य एशिया, यूरोप तथा पश्चिम एशिया के देशों के बीच संपर्क एवं सहयोग को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, जबकि 21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड चीन एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया तथा अफ्रीका के देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है।
- आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण का मुख्य भाग 2035 तक जारी रहने की उम्मीद है।

प्राचीन सिल्क रोड

- सिल्क रोड चीन और सुदूर पूर्व को मध्य पूर्व तथा यूरोप से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क था।
- पूरे वर्ष सिल्क का परिवहन पूर्व से पश्चिम की ओर होता था, सिवाय कठोर सर्दियों के, जब बदले में सोने और चांदी के सिक्के तथा अन्य कीमती सामान वापस आते थे।
- इसकी स्थापना तब हुई जब चीन में हान राजवंश ने 130 ईसा पूर्व में आधिकारिक तौर पर पश्चिम के साथ व्यापार खोला, सिल्क रोड मार्ग 1453 ईस्वी तक उपयोग में रहे, जब तक कि ओटोमन साम्राज्य ने चीन के साथ व्यापार का बहिष्कार नहीं किया और उन्हें बंद नहीं कर दिया।

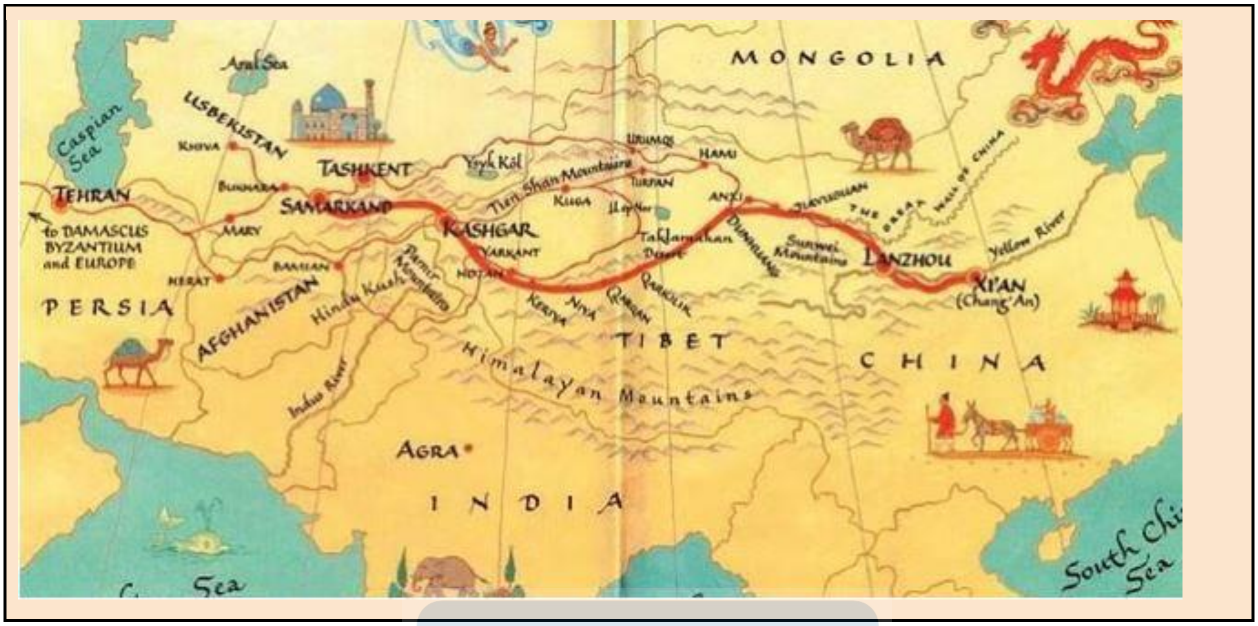

भारत BRI को किस प्रकार देखता है?

- **संप्रभुता के मुद्दे:** चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर (PoK) से होकर गुजरता है।
    - भारत इसे अपनी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन मानता है।
- **हिंद महासागर में चीनी उपस्थिति:** चीन के लिए हिंद महासागर का महत्व उसके बढ़ते व्यापार, ऊर्जा परिवहन और निवेश के कारण अत्यधिक बढ़ गया है।
    - इसने बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में विभिन्न बंदरगाहों में निवेश के माध्यम से भारत के पड़ोस में अपने पदचिह्नों का विस्तार करना शुरू कर दिया है।
    - चूंकि वाणिज्यिक बंदरगाहों को आसानी से सैन्य उपयोग में बदला जा सकता है, इसलिए इन घटनाक्रमों ने भारतीय नीति निर्माताओं को परेशान किया है।
- **तनावपूर्ण भारत-चीन संबंध:** व्यापक भारत-चीन संबंधों (व्यापार घाटा, सीमा तनाव, आदि) में कई नकारात्मक घटनाक्रमों ने भी BRI के बारे में भारत की धारणाओं को प्रभावित किया है।
- **ऋण कूटनीति:** BRI संरचना में चीनी नव-उपनिवेशवाद के संकेत प्रतीत होते है। परियोजनाएँ छोटे देशों को ऋण चक्र में धकेल रही हैं, पारिस्थितिकी को नष्ट कर रही हैं और स्थानीय समुदायों को बाधित कर रही हैं।
    - ऋण जाल उनकी संप्रभुता को कमजोर कर रहे हैं और चीन पर निर्भरता उत्पन्न कर रहे हैं।

निष्कर्ष

- भारत पहला देश था जिसने अपनी आपत्तियां व्यक्त कीं और BRI के विरोध में दृढ़ता से खड़ा रहा।
- भारत BRI परियोजनाओं की आलोचना करने में भी मुखर रहा है और कहता है कि उन्हें सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, सुशासन एवं कानून के शासन पर आधारित होना चाहिए तथा खुलेपन, पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

- BRI को चीन द्वारा अपने बुनियादी ढांचे, बौद्धिक और वित्तीय लाभ का उपयोग करके कुछ पूंजी आयात करने वाले देशों के साथ मजबूत राजनीतिक संबंध बनाने के रूप में भी देखा जा सकता है।
- भारत इन वास्तविकताओं से अवगत है और हिंद महासागर क्षेत्र में अपने भू-राजनीतिक हितों को निर्धारित करने के लिए भी उत्सुक है।

Source: TH

भारत महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) के आयात पर अत्यधिक निर्भर है

समाचार में

- इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) द्वारा हाल ही में प्रकाशित भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज पर रिपोर्ट जारी की।

भारतीय परिदृश्य

- भारत, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी और बढ़ी हुई ऊर्जा सुरक्षा के कारण हरित ऊर्जा परिदृश्य में परिवर्तन कर रहा है।
- यह परिवर्तन सौर पैनल, पवन टर्बाइन, इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली और रक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
- **चुनौतियाँ:** भारत को इन खनिजों को सुरक्षित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आपूर्ति में व्यवधान और भू-राजनीतिक कारक सम्मिलित हैं।
    - भारत की आयात पर निर्भरता, विशेष रूप से चीन से, जोखिम उत्पन्न करती है, जैसा कि 2019 में यू.एस.-चीन व्यापार तनावों द्वारा उजागर किया गया है।
    - नैतिक चिंताएँ, जैसे कोबाल्ट खनन में बाल श्रम और पर्यावरणीय प्रभाव, खनन परिदृश्य को अधिक जटिल बनाते हैं। भारत को इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए नीतिगत ढाँचे स्थापित करने चाहिए।
- **सरकारी पहल:** भारत सरकार खनन ब्लॉक नीलामी और महत्वपूर्ण खनिज मिशन के माध्यम से घरेलू उत्पादन में सुधार करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, जो शोधन और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ा सकता है।
    - भारत ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और घरेलू अन्वेषण के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों को प्राप्त करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति शुरू की है।

हालिया रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **केन्द्रीय विषय:** रिपोर्ट पाँच महत्वपूर्ण खनिजों - कोबाल्ट, तांबा, ग्रेफाइट, लिथियम और निकल पर केंद्रित है - जिसमें आयात निर्भरता, व्यापार गतिशीलता, घरेलू उपलब्धता और मूल्य में उतार-चढ़ाव का विश्लेषण किया गया है।

- **आयात निर्भरता:** भारत अपने ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों, विशेष रूप से लिथियम, कोबाल्ट और निकल के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, इन खनिजों के लिए आयात पर 100% निर्भरता है।
  - इन खनिजों की मांग 2030 तक दोगुनी से अधिक होने की उम्मीद है, जबकि घरेलू खनन उत्पादन को विकसित होने में एक दशक से अधिक समय लगेगा।
- **जोखिम में खनिज:** ग्रेफाइट (प्राकृतिक और सिंथेटिक), लिथियम ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, कॉपर कैथोड, निकल सल्फेट, कोबाल्ट ऑक्साइड और कॉपर अयस्कों के लिए उच्च आयात निर्भरता विद्यमान है, जिनमें से कुछ भू-राजनीतिक रूप से जोखिम वाले देशों से आते हैं।
- **भू-राजनीतिक जोखिम:** रूस, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, पेरू और चीन जैसे देश महत्वपूर्ण खनिजों के स्रोत के लिए उच्च भू-राजनीतिक जोखिम उत्पन्न करते हैं। लिथियम ऑक्साइड और निकल ऑक्साइड का आयात मुख्य रूप से रूस तथा चीन से होता है, जो व्यापार जोखिम उत्पन्न करता है।
  - सिंथेटिक और प्राकृतिक ग्रेफाइट के लिए भारत विशेष रूप से चीन पर निर्भर है।
  - तांबे और निकल के लिए, भारत मुख्य रूप से जापान और बेल्जियम से आयात करता है, और रिपोर्ट में अमेरिका को देखकर आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने का सुझाव दिया गया है, जो एक महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक है।

सुझाव

- भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है, जिसकी वर्तमान क्षमता 201 गीगावाट है।
- 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए लगभग 7,000 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी विकास और वित्त पोषण में सरकारी सहायता महत्वपूर्ण है, जो अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है।
- रिपोर्ट में भारत द्वारा व्यापार जोखिमों को कम करने और आवश्यक खनिजों को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक अच्छी तरह से तैयार की गई आयात रणनीति विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- भारत ऑस्ट्रेलिया, चिली और घाना और दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ अफ्रीकी देशों जैसे संसाधन-समृद्ध, मित्र देशों में निवेश के अवसरों की खोज कर सकता है।

Source:ET

भारत के रक्षा क्षेत्र पर आत्मनिर्भर भारत पहल का प्रभाव

संदर्भ

- आत्मनिर्भर भारत पहल ने घरेलू रक्षा उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के साथ भारत के रक्षा क्षेत्र को परिवर्तित कर दिया है।

भारत का रक्षा क्षेत्र

- रक्षा मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में रक्षा उत्पादन का मूल्य बढ़कर ₹1,26,887 करोड़ हो गया है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के रक्षा उत्पादन की तुलना में 16.7% की वृद्धि दर्शाता है।
    - 2023-24 में उत्पादन के कुल मूल्य में से लगभग 79.2% सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा और 20.8% निजी क्षेत्र द्वारा योगदान दिया गया है।
- 2024 में भारत का 74.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा बजट विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा स्थान रहा।
    - वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात ₹21,083 करोड़ था, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि दर्शाता है जब यह आंकड़ा ₹15,920 करोड़ था।
- भारत ने 2028-29 तक 6.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। भारत ने प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, जैसे धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS), मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, हल्के लड़ाकू विमान तेजस और पनडुब्बियां आदि।

रक्षा उत्पादन में वृद्धि के लाभ

- **आत्मरक्षा:** चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों की उपस्थिति भारत के लिए अपनी आत्मरक्षा और तैयारियों को बढ़ावा देना ज़रूरी बनाती है।
- **रणनीतिक लाभ:** आत्मनिर्भरता भारत के भू-राजनीतिक दृष्टिकोण को एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में रणनीतिक रूप से मज़बूत बनाएगी।
- **तकनीकी उन्नति:** रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्नति स्वचालित रूप से अन्य उद्योगों को बढ़ावा देगी, जिससे अर्थव्यवस्था को और आगे ले जाने में सहायता मिलेगी।
- **आर्थिक हानि:** भारत रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% व्यय करता है और इसका 60% आयात पर व्यय होता है। इससे बहुत अधिक आर्थिक हानि होती है।
- **रोज़गार:** रक्षा विनिर्माण को कई अन्य उद्योगों के समर्थन की आवश्यकता होगी जो रोज़गार के अवसर उत्पन्न करते हैं।

चिंताएं

- **निजी भागीदारी सीमित:** रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी अनुकूल वित्तीय ढांचे की कमी के कारण बाधित है, जिसका अर्थ है कि हमारा रक्षा उत्पादन आधुनिक डिजाइन, नवाचार और उत्पाद विकास से लाभ उठाने में असमर्थ है।
- **महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की कमी:** डिजाइन क्षमता की कमी, अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास निवेश, प्रमुख उप-प्रणालियों और घटकों के निर्माण में असमर्थता स्वदेशी विनिर्माण में बाधा उत्पन्न करती है।
- **हितधारकों के बीच समन्वय की कमी:** रक्षा मंत्रालय और औद्योगिक संवर्धन मंत्रालय के बीच अधिकार क्षेत्र के ओवरलैपिंग के कारण भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता में बाधा आती है।

रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार की पहल

- **IDR अधिनियम:** औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले रक्षा उत्पादों की सूची को युक्तिसंगत बनाया गया है और अधिकांश भागों या घटकों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
- औद्योगिक लाइसेंस की आरंभिक वैधता को 03 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है, जिसमें मामले-दर-मामला आधार पर इसे 03 वर्ष तक आगे बढ़ाने का प्रावधान है।
- रक्षा और एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर नवाचार को सक्षम करने के लिए iDEX (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार) और DTIS (रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना) जैसी सरकारी योजनाएँ।
- निर्यात को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को उदार बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र में FDI को स्वचालित मार्ग से 74% तथा सरकारी मार्ग से 100% तक बढ़ाया गया है।
- सरकार ने तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में 2 समर्पित रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए हैं, जो वर्तमान बुनियादी ढाँचे तथा मानव पूंजी का लाभ उठाने वाले रक्षा विनिर्माण के क्लस्टर के रूप में कार्य करते हैं।
- **रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 (DPEPP):** रक्षा मंत्रालय (MoD) ने आत्मनिर्भरता और निर्यात के लिए देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं पर केंद्रित, संरचित और महत्वपूर्ण बल देने के लिए MoD के मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में DPEPP 2020 का मसौदा तैयार किया है।
- 2021 में, रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और परिचालन आवश्यकताओं के लिए 1.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर (7,965 करोड़ रुपये) के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति की आवश्यकता (AoN) द्वारा 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा दिया।

आगे की राह

- रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन चैनल स्टेटस पॉलिसी (GCS) शुरू की गई है।
- भारत में लगभग 194 रक्षा तकनीक स्टार्टअप हैं जो देश के रक्षा प्रयासों को सशक्त बनाने और समर्थन देने के लिए नवीन तकनीकी समाधान बना रहे हैं।
- भारत के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश पर प्रतिबंधों को कम करने पर सरकार के प्रयासों के साथ, भारतीय रक्षा क्षेत्र का विकास पथ मजबूत बना हुआ है।

Source: AIR

बैंकिंग लेनदेन में साइबर धोखाधड़ी

संदर्भ

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार, साइबर धोखाधड़ी के कारण भारतीयों को अगले वर्ष 1.2 लाख करोड़ रुपये (देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7%) से अधिक की हानि होने की संभावना है।

बैंकिंग लेन-देन में साइबर धोखाधड़ी में वृद्धि

- वित्त वर्ष 2024 में, भारत में बैंकिंग लेनदेन से संबंधित साइबर धोखाधड़ी में नाटकीय वृद्धि देखी गई,

> **साइबर धोखाधड़ी के प्रकार**
> - **फ़िशिंग हमले:** धोखेबाज़ पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए भ्रामक ईमेल और वेबसाइट का उपयोग करते हैं।
> - **पहचान की चोरी:** अपराधी व्यक्तियों का प्रतिरूपण करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे वित्तीय और प्रतिष्ठा को हानि होती है।
> - **ऑनलाइन घोटाले:** इनमें लॉटरी घोटाले, रोजगार धोखाधड़ी और नकली ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट शामिल हैं जो पीड़ितों को उनके पैसे से अलग करने के लिए धोखा देती हैं।

  जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में घटनाएँ तीन गुना बढ़ गईं।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, कार्ड और इंटरनेट श्रेणी में धोखाधड़ी की संख्या 29,082 तक बढ़ गई, जो सभी बैंकिंग धोखाधड़ी का 80% है।
- यह वित्त वर्ष 2023 में दर्ज की गई 6,699 घटनाओं की तुलना में 334% की अप्रत्याशित वृद्धि को इंगित करता है।

उछाल के प्रमुख कारक

- **डिजिटलीकरण में वृद्धि:** क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग सहित डिजिटल भुगतान विधियों को तेजी से अपनाने से साइबर अपराधियों के लिए अधिक अवसर उत्पन्न हुए हैं।
- जैसे-जैसे अधिक लोग इन डिजिटल चैनलों पर विश्वास करते हैं, इन प्रणालियों के अंदर की कमज़ोरियाँ अधिक स्पष्ट होती जाती हैं।
- **परिष्कृत साइबर हमले:** साइबर अपराधी डिजिटल भुगतान प्रणालियों की कमज़ोरियों का लाभ उठाने में अधिक कुशल हो गए हैं।
- फ़िशिंग, पहचान की चोरी और दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर के उपयोग जैसी तकनीकें अधिक प्रचलित हो गई हैं, जिससे धोखेबाज़ों को संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।
- **व्यवहार संबंधी कमज़ोरियाँ:** कई धोखाधड़ी मानवीय भूल के कारण होती हैं, जैसे पासवर्ड साझा करना या फ़िशिंग घोटालों में फँस जाना।
- विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को प्रायः डिजिटल सुरक्षा प्रथाओं से परिचित न होने के कारण निशाना बनाया जाता है।

वित्तीय प्रभाव

- इन धोखाधड़ी का वित्तीय प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है। वित्तीय वर्ष 2024 में, कार्ड और इंटरनेट धोखाधड़ी का कुल मूल्य ₹1,457 करोड़ तक पहुँच गया, जो पिछले छह वर्षों में दर्ज की गई सबसे अधिक राशि है।

- यह उपभोक्ताओं के बीच बेहतर सुरक्षा उपायों और अधिक जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

भारत में साइबर धोखाधड़ी का विनियमन

- सेवाओं के तेजी से डिजिटलीकरण और इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता के कारण, साइबर धोखाधड़ी भारत में एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में उभरी है।
- इसमें साइबर अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने और उन्हें दंडित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार किया गया है।

प्रमुख विधायी उपाय

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT अधिनियम):** यह इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करता है और इसका उद्देश्य ई-कॉमर्स को सुविधाजनक बनाना तथा हैकिंग, पहचान की चोरी एवं साइबर आतंकवाद सहित विभिन्न साइबर अपराधों को संबोधित करना है। साइबर धोखाधड़ी से संबंधित प्रमुख धाराओं में शामिल हैं:
  - **धारा 66सी:** पहचान की चोरी के लिए सजा।
  - **धारा 66डी:** कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके व्यक्ति के रूप में धोखाधड़ी करने के लिए सजा।
  - **धारा 43:** कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए जुर्माना।
- **भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860:** इसमें साइबर धोखाधड़ी को संबोधित करने वाले प्रावधान शामिल हैं जैसे:
  - **धारा 420:** धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना।
  - **धारा 468:** धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी।
  - **धारा 471:** जाली दस्तावेज़ को असली के रूप में उपयोग करना।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे मध्यस्थों को उचित परिश्रम करने और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य करते हैं।
- वे मध्यस्थों से अपेक्षा करते हैं कि वे साइबर घटनाओं की सूचना भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) को दें।

नियामक निकाय और पहल

- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):** गृह मंत्रालय के तहत स्थापित, I4C का उद्देश्य समन्वित तरीके से साइबर अपराध से निपटना है।
  - यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर अपराध पर सहयोग करने और जानकारी साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **साइबर स्वच्छता केंद्र:** CERT-In की यह पहल साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और उपकरणों से दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर का पता लगाने तथा हटाने के लिए उपकरण प्रदान करने पर केंद्रित है।

- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013:** यह साइबर खतरों से सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करती है। यह एक सुरक्षित और लचीले साइबरस्पेस की आवश्यकता पर बल देती है।
- **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:** यह नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी और महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ अपराधों सहित विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है।

भारत में साइबर धोखाधड़ी से निपटने की चुनौतियाँ

- **तीव्रता से तकनीकी प्रगति:** तकनीकी परिवर्तन की तेज गति के कारण कानूनों के लिए नए प्रकार के साइबर अपराधों से निपटना मुश्किल हो जाता है।
- **संसाधन की कमी:** कई संगठनों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) के पास मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए संसाधनों की कमी है। यह उन्हें साइबर अपराधियों के लिए आसान लक्ष्य बनाता है।
- **एजेंसियों के बीच समन्वय:** प्रभावी साइबर सुरक्षा के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और विभागों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। हालाँकि, प्रायः इसका अभाव होता है, जिससे प्रयास विखंडित और अक्षम हो जाते हैं।
- **न्यायालय संबंधी मुद्दे:** साइबर अपराध प्रायः राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाते हैं, जिससे कानूनों का प्रवर्तन जटिल हो जाता है।
- **जागरूकता की कमी:** कई व्यक्ति और व्यवसाय साइबर धोखाधड़ी से जुड़े जोखिमों तथा इसे रोकने के उपायों से परिचित नहीं हैं।

साइबर धोखाधड़ी से निपटने के उपाय

- **उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल:** बैंकों और वित्तीय संस्थानों को साइबर हमलों से बचाव के लिए मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की आवश्यकता है।
  - इसमें बहु-कारक प्रमाणीकरण और उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीक शामिल हैं।
- **विनियामक निरीक्षण:** RBI और अन्य विनियामक निकायों को साइबर सुरक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन जारी रखना चाहिए। नियमित ऑडिट और मूल्यांकन संभावित जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने में सहायता कर सकते हैं।
- **उपभोक्ता शिक्षा:** साइबर धोखाधड़ी के जोखिमों और स्वयं को कैसे सुरक्षित रखें, इस बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। जागरूकता अभियान व्यक्तियों को सामान्य घोटालों को पहचानने और उनसे बचने में सहायता कर सकते हैं।

निष्कर्ष

- वित्तीय वर्ष 2024 में साइबर धोखाधड़ी में वृद्धि बैंकिंग क्षेत्र में मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

NEXT IAS हिन्दी

- जैसे-जैसे डिजिटल लेन-देन बढ़ता जा रहा है, वित्तीय संस्थानों और उपभोक्ताओं दोनों को इन उभरते खतरों से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रपति भवन में कोणार्क चक्र की प्रतिकृतियां

संदर्भ

- हाल ही में, राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में बलुआ पत्थर से बने कोणार्क पहियों की प्रतिकृतियां स्थापित की गई हैं, जिसका उद्देश्य आगंतुकों के बीच भारत की ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करना और उसका प्रचार करना है।

कोणार्क चक्र के बारे में

- कोणार्क चक्र, ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर की एक प्रतिष्ठित विशेषता है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, यह ओडिशा के मंदिर वास्तुकला के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है।
- मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम (1238-64 ई.) द्वारा किया गया था, मंदिर को सूर्य देव को ले जाने वाले एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है।
- रथ को 24 जटिल नक्काशीदार चक्रों से सजाया गया है, जिनमें से प्रत्येक का व्यास लगभग 12 फीट है, जो समय बीतने और जीवन चक्र का प्रतीक है।

वास्तुशिल्प चमत्कार

- चक्रों की तीलियाँ छाया बनाती हैं जिनका उपयोग उल्लेखनीय सटीकता के साथ दिन के समय की गणना करने के लिए किया जा सकता है।
- कलात्मक सुंदरता और वैज्ञानिक परिशुद्धता का यह मिश्रण प्राचीन भारतीय वास्तुकारों और कारीगरों के उन्नत ज्ञान और शिल्प कौशल को प्रकट करता है।

Source: PIB

कुंभ मेला

संदर्भ

- उत्तर प्रदेश 2025 के महाकुंभ की तैयारी कर रहा है.

परिचय

- यह 45 दिनों का धार्मिक आयोजन है जो 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है।

- यह 14 जनवरी, 2025 को शुरू होने वाला है।
- तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं, उनका मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है।
- मेले का स्थल चार प्रमुख तीर्थस्थलों पर बारी-बारी से आयोजित होता है।
  - उत्तराखंड में गंगा पर हरिद्वार में कुंभ मेला।
  - मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन में कुंभ मेला।
  - महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक में कुंभ मेला।
  - उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में कुंभ मेला।
- प्रत्येक स्थल को सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थिति के अनुसार चुना जाता है।
- मेला ठीक उसी समय आयोजित किया जाता है जब ये तीनों स्थान पूरी तरह से भरे होते हैं, और यह हिंदू धर्म में सबसे पवित्र समय होता है।
- **महाकुंभ मेला:** यह 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद वर्ष 144 साल में एक बार आता है।
  - महाकुंभ केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है।

Source: IE

जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए मोबाइल ऐप

संदर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने "प्रौद्योगिकी को शासन के साथ एकीकृत करने" के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) ऐप

- भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा तैयार किए गए इस मोबाइल ऐप से जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में लगने वाले समय में उल्लेखनीय कमी आने की सम्भावना है।
- जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2023 से देश में होने वाले सभी जन्म और मृत्यु का डिजिटल पंजीकरण किया जाना है।
- डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र विभिन्न सेवाओं जैसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, सरकारी रोजगारों और विवाह पंजीकरण के लिए जन्म तिथि सिद्ध करने के लिए एक ही दस्तावेज़ होगा।
- केंद्रीकृत डेटाबेस राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR), राशन कार्ड, संपत्ति पंजीकरण और मतदाता सूची को अपडेट करने में भी सहायता करेगा।

Source: TH

70 से अधिक नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत

संदर्भ

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तारित आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) योजना शुरू की।

परिचय

- यह योजना 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों पर लागू होगी, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, जिसमें पूरे भारत में सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का लाभ कवर होगा।
- विस्तारित योजना के तहत, वरिष्ठ नागरिकों को एक अलग आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिलेगा।
- निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) योजना के तहत कवर किए गए पात्र लाभार्थी भी PMJAY के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
    - जो लोग पहले से ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें या तो अपनी वर्तमान योजना चुननी होगी या PMJAY का विकल्प चुनना होगा।

आयुष्मान भारत योजना

- इसे भारत सरकार द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके दो प्रमुख घटक हैं;
    - आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)
    - आयुष्मान आरोग्य मंदिर

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)

- AB PM-JAY विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जो द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।
- **समावेशन:** इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिन जैसे निदान और दवाइयों का खर्च शामिल है।
    - लाभार्थी भारत में किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक या निजी अस्पताल में जाकर कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकता है।
    - परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- **पात्रता:** परिवारों का समावेश क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) के अभाव और व्यावसायिक मानदंडों पर आधारित है।
    - इस संख्या में वे परिवार भी शामिल हैं जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) में शामिल थे, लेकिन SECC 2011 डेटाबेस में उपस्थित नहीं थे।
- **वित्त पोषण:** इस योजना के लिए वित्त पोषण केंद्र और राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है।
- हालाँकि, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों (जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश) और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह अनुपात 90:10 है।

Source: BS

फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA)

समाचार में

- इजरायल की संसद ने UNRWA को इजरायल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में कार्य करने से प्रतिबंधित करने के लिए दो विधेयक पारित किए।

परिचय

- एक विधेयक UNRWA के इजराइल में संचालन पर pप्रतिबन्ध लगाता है, जबकि दूसरा आधिकारिक संबंधों को समाप्त करता है और UNRWA कर्मचारियों के लिए कानूनी प्रतिरक्षा को हटाता है।
- UNRWA ने एजेंसी के साथ सभी संबंधों को तोड़ते हुए इसे एक आतंकवादी संगठन भी घोषित किया है।
- ये उपाय गाजा में सहायता वितरण को बाधित कर सकते हैं, जिसका प्रभाव भोजन, पानी और दवा की कमी का सामना कर रहे 2 मिलियन फिलिस्तीनियों पर पड़ सकता है।

UNRWA

- फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) की स्थापना 1949 में 1948 के युद्ध से प्रभावित फिलिस्तीन शरणार्थियों की सहायता के लिए की गई थी, जिसका संचालन 1950 में शुरू हुआ था।
- यह मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित है
- यह गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया तथा जॉर्डन में 5.9 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थियों और उनके वंशजों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आपातकालीन राहत सहित आवश्यक सेवाएँ प्रदान करता है।
- यह गाजा के मानवीय सहायता वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हाल ही में एक आपातकालीन पोलियो टीकाकरण अभियान को लागू किया है।

Source: IE

ब्रिक-NABI (BRIC-NABI)

संदर्भ

- केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने ब्रिक-राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान (NABI) का उद्घाटन किया है।

परिचय

- BRIC-NABI की स्थापना राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (NABI) और सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग (CIAB) के बीच एक रणनीतिक विलय है।
- दोनों ही जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के तहत स्वायत्त संस्थान हैं।
- इस सुविधा का उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि-खाद्य क्षेत्र को परिवर्तित करना है।

- NABI और CIAB की संयुक्त विशेषज्ञता उच्च उत्पादकता, बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर पोषण सामग्री के साथ आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों जैसे नवाचारों के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगी।

Source: TOI

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

समाचार में

- बजट घोषणा के बाद मुद्रा ऋण की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में(PMMY)

- MUDRA का तात्पर्य है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, जो PMMY के तहत हाशिए पर पड़े समूहों के लिए वित्तीय समावेशन प्रदान करता है।
- इसे 8 अप्रैल, 2015 को गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को ₹10 लाख तक के ऋण के साथ समर्थन देने के लिए लॉन्च किया गया था।
- **ऋण सीमा में वृद्धि:** केंद्रीय बजट 2024-25 में ऋण सीमा को बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया गया, जो 24 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी है।
    - नई सीमा के तहत बढ़ाए गए ऋणों को माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) द्वारा समावेशित किया जाता है, जो उद्यमिता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
- **उद्देश्य:** मुद्रा का उद्देश्य आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र में अंतराल को समाप्त करके भारत की युवा उद्यमी प्रतिभा का पोषण करना है।
    - **ऋण श्रेणियाँ:**
        - **शिशु:** ₹50,000 तक के ऋण।
        - **किशोर:** ₹50,000 से अधिक और ₹5 लाख तक के ऋण।
        - **तरुण:** ₹5 लाख से अधिक और ₹10 लाख तक के ऋण।
        - **तरुण प्लस**: ₹10 लाख से ₹20 लाख के बीच के ऋण।

Source : PIB

PMLA के तहत जमानत प्रावधान

संदर्भ

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के सख्त प्रावधानों का प्रयोग"कारावास के साधन" के रूप में नहीं किया जा सकता।
    - न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि जमानत नियम है और जेल अपवाद।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)

- इसे 2002 में संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह 2005 से लागू हुआ और 2009 और 2012 में इसमें संशोधन किया गया।
- PMLA के तहत अपराध मुख्य रूप से आपराधिक गतिविधियों (जैसे, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार) के माध्यम से प्राप्त धन शोधन से संबंधित है।

कानून के तहत जमानत के प्रावधान

- PMLA की धारा 45, जो जमानत से संबंधित है, पहले यह कहती है कि कोई भी न्यायलय इस कानून के तहत अपराधों के लिए जमानत नहीं दे सकती है, और फिर कुछ अपवादों का उल्लेख करती है।
- प्रावधान में नकारात्मक भाषा से ही पता चलता है कि PMLA के तहत जमानत नियम नहीं बल्कि अपवाद है।
- प्रावधान सभी जमानत आवेदनों में सरकारी अधिवक्ता की बात सुनना अनिवार्य बनाता है, और जब अभियोजक जमानत का विरोध करता है, तो न्यायलय को दोहरा परीक्षण लागू करना होता है। ये दो शर्तें हैं:
  - (i) कि "यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि [आरोपी] ऐसे अपराध का दोषी नहीं है"; और
  - (ii) कि "जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है"।

Source: TH

बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (MIDH)

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत चार नए घटकों, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और प्रिसिजन एग्रीकल्चर को शामिल करने का निर्णय लिया है।

बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशनe (MIDH)

- यह 2014-15 से लागू एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (CSS) है जो फलों, सब्जियों, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको तथा बांस की खेती को बढ़ावा देती है।
- MIDH के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित प्रमुख हस्तक्षेपों/गतिविधियों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है;
  - गुणवत्तापूर्ण बीज और रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए नर्सरी, ऊतक संवर्धन इकाइयों की स्थापना।
  - क्षेत्र विस्तार अर्थात् फलों, सब्जियों और फूलों के लिए नए बागों और उद्यानों की स्थापना।
  - उत्पादकता में सुधार और ऑफ-सीजन उच्च मूल्य वाली सब्जियों एवं फूलों को उगाने के लिए संरक्षित खेती, अर्थात् पॉली-हाउस, ग्रीन-हाउस इत्यादि।
  - जैविक खेती और प्रमाणीकरण।
  - जल संसाधन संरचनाओं और वाटरशेड प्रबंधन का निर्माण।

- परागण के लिए मधुमक्खी पालन।
- पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और विपणन बुनियादी ढांचे का निर्माण।

भारत में बागवानी क्षेत्र

- 2022-23 में भारत का बागवानी उत्पादन 355.48 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2021-22 से 2.39% अधिक है।
- 2022-23 में बागवानी उत्पादन का क्षेत्र 2021-22 से 1.41% बढ़ा।
- भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

Sources:IE

पराली जलाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना

समाचार में

- हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए राज्य विशिष्ट योजना शुरू की।

राज्य विशिष्ट योजना के बारे में

- इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता मिलती है।
- पंचायतों को शून्य पराली जलाने का लक्ष्य दिया जाता है:
- **विशेषताएं:** रेड जोन पंचायतों को लक्ष्य पूरा करने के लिए 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है।
  - येलो जोन पंचायतों को लक्ष्य पूरा करने के लिए 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है।
  - धान अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

पराली जलाने से संबंधित अन्य उपाय

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन को प्राथमिकता दी है, विशेष रूप से पराली जलाने से निपटने के लिए।
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक रूपरेखा विकसित की है।
- 2021-2023 से सीख लेते हुए रूपरेखा को संशोधित किया गया है और 2024 के धान की कटाई के मौसम के लिए पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के NCR जिलों के लिए अद्यतन कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं।
- इन योजनाओं में इन-सीटू और एक्स-सीटू पराली प्रबंधन, IEC गतिविधियाँ और प्रवर्तन तंत्र शामिल हैं।

Source: PIB